भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 417
दिनांक 04.02.2020/ 15 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

सीएए विरोधी आंदोलन

†417. श्री एस॰ मुनिस्वामीः
श्रीमती साजदा अहमदः
श्री टी॰ आर॰ बालूः
श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः
श्री विनसेंट एच॰ पालाः
श्री एंटो एन्टोनीः
प्रो॰ सौगत रायः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री दीपक बैजः
श्री हिबी ईडनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ आंदोलन का क्या कारण है;

(ख) आंदोलन के दौरान मारे गए, घायल, हिरासत में लिए गए और निरुद्ध किए गए विरोध प्रदर्शन के लिए अभियोजित व्यक्तियों की संख्या, रिपोर्ट की गई संपत्ति की अनुमानित क्षति, मारे गए, घायल और अत्यधिक बल प्रयोग के लिए निलंबित और गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त विरोधों के कारण बंद/निलंबित किए गए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) किन राज्यों ने उक्त अधिनियम को लागू करने से इनकार कर दिया है या इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त विरोध के कारण कितने देशों ने यात्रा चेतावनी जारी की है; और

(च) सरकार द्वारा आंदोलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए और सीएए पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): भारत के संविधान की अनुसूची VII के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय है तथा संबंधित राज्य सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और कानून के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। केंद्र सरकार राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करती है तथा कानून और व्यवस्था की बड़ी समस्या पैदा होने की स्थिति में राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती करके राज्य सरकारों की सहायता करती है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विरोध के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिंसा की घटनाओं, अवैध रूप से इकट्ठा होने, पत्थरबाजी करने, सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान होने और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया है। इसके ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

केंद्र सरकार को राजस्थान जैसे कुछ राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केरल राज्य सरकार ने भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मूल वाद दायर किया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 दिनांक 10.01.2020 से लागू हुआ है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I- संघ सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत "नागरिकता" एक केंद्र का विषय है। संसद को सूची I के तहत सभी केंद्रीय विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है जैसा कि अनुच्छेद 11 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(1) में प्रावधान किया गया है।

लो.स. अता. प्र.सं. 417 दिनांक 04.02.2020

अनुलग्नक

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विरोध में आयोजित किए गए आंदोलनों, रैलियों और धरनों तथा गिरफ्तार किए गए नागरिकों के संबंध में दिल्ली पुलिस की संक्षिप्त रिपोर्ट।

दिल्ली में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों तथा दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विरोध प्रदर्शनों की संख्या	दर्ज किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
66	11	99

2. सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध/प्रदर्शनों को रोकते समय हुए नुकसान के सूचित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) मोटर साइकिल - 80
(ii) कार - 06
(iv) बस - 04
(v) टॉयलेट वैन - 01
(vi) पुलिस वाहन - 02
(vii) अन्य वाहन - 23
(viii) बैरिकेड्स - 32
(ix) पुलिस बूथ - 01
(x) डिवाइडर रेलिंग - 01
(xi) मीडिया कैमरा - 01

3. भीड़ द्वारा विरोध प्रदर्शन और गैर-कानूनी गतिविधियों का इलाका-वार विवरण:-

दिनांक	इलाका	संक्षिप्त तथ्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
13.12.2019 15.12.2019 16.12.2019	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के दौरान छात्रों, पूर्व छात्रों और राजनीतिक संगठनों के व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में एकत्र होना और संसद की ओर मार्च करना। पथराव किया और बैरिकेड तोड़े। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया/नुकसान पहुंचाया। तीन पुलिस बूथों में आग लगा दी।	25
16.12.2019	चांद बाग मजार	प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।	1

लो.स. अता. प्र.सं. 417 दिनांक 04.02.2020

20.12.2019	सुंदर नगर	सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के दौरान शुक्रवार को नमाज़ के बाद लगभग 4000 लोग एकत्र हुए और उन्होंने वज़ीराबाद रोड की ओर मार्च किया। भीड़ द्वारा पथराव किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा।	18
17.12.2019	ब्रिजपुरी पुलिया फूटा रोड और सीलमपुर टी-पॉइंट	आंदोलनकारियों का एकत्र होना और उनके द्वारा पत्थरबाजी। इससे दो पुलिस कर्मी और एक आम व्यक्ति घायल हो गया। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया/नुकसान पहुंचाया। पुलिस बूथों को आग लगा दी।	28
20.12.2019	नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग पुराना सीमापुर	हजारों लोगों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होना और पत्थरबाजी करना, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया/नुकसान पहुंचाया। हिंसक भावनाओं को भड़काने में राजनेताओं का शामिल होना।	21
24.01.2020	शाहीन बाग	न्यूज नेशन टीवी चैनल के एक रिपोर्टर और उनकी टीम पर भीड़ में शामिल लोगों ने हमला किया, जिसमें तीन मीडियाकर्मी घायल हो गए।	-

****